356

समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर, संम्भाग ग्वालियर (म0प्र0)

निग-2477-II-16

मेसर्स बिरला कार्पोरेशन लिमिटेड यूनिट–सतना सीमेन्ट वर्क्स, सतना द्वारा आर.के बक्सी तनय श्री एम.सी.बक्सी असि0 वाईस प्रेसीडेन्ट (पी.एन्ड ए.) निवासी बिरला कालोनी सतना तहसील रघुराजनगर सतना, थाना कोलगंवा जिला सतना (म0प्र0) .... **निगराकार**

बनाम

1. श्री हीरामन द्विवेदी तनय श्री बैजनाथ ब्राम्हण साकिन बेला तहसील रघुराजनगर सतना, थाना – कोलगंवा जिला सतना (म0प्र0)
2. शासन म0प्र0 द्वारा राजस्व निरीक्षक मंडल सतना, तह0 रघु0 जिला सतना .... **गैरनिगराकार**

श्री .... द्वारा आज दि. 28.7.16 को प्रस्तुत
28.7.16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

28/7/16

निगरानी विरुद्ध राजस्व प्र.क. 66अ12/2015–16 आदेशदिनांक 30.05.2016 आदेश राजस्व निरीक्षक मंडल सतना(**राजस्व निरीक्षक डा0सुदामा प्रसाद कोल**)।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50(1) म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ।

मान्यवर,

निगराकार निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत कर विनयी हैं कि :–

01. यह कि राजस्व निरीक्षक वृत्त सतना तहसील रघुराजनगर सतना द्वारा किया गया सीमाकंन आदेश दिनांक 30.05.2016 विधि व कानूनी प्रकिया के विरुद्ध होने से काबिल निरस्तगी के हैं।

02. यह कि संबंधित आराजी नंबर 222 का रकबा कई टुकडो में विभक्त हैं, जिसके कई भूमिस्वामी हैं, तथा नक्शे में रकबा विभाजित नही हैं इसका प्रमाण स्वंय राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के पैरा कमांक 2 में यह लिखा हैं कि मौके में आराजी नंबर 222 कई बंटा नम्बरों में विभाजित हैं तथा नक्शे में तरमीम नही हैं। राजस्व मंडल द्वारा सन् 1997 राजस्व निर्णय पेज कमांक 353 अच्छेलाल एवं अन्य विरुद्ध श्रीमती सुशीला तथा अन्य में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया हैं कि सीमांकन के लिए उपखण्डो में विभाजित होने पर एक बडा सर्वेक्षण संख्याक को प्रथमतया धारा 70 के अधीन नक्शे मे तरमीम कराना चाहिये, इसके पश्चात सीमाकंन किया जाना चाहिये। इस प्रकरण मे राजस्व निरीक्षक द्वारा जो सीमाकंन किया गया हैं वह पूर्णतः त्रुटिपूर्ण हैं क्योकि आराजी नं. 222 कई टुकडो में विभक्त हैं तथा खसरा में कई बटा नंबर पडे हुये हैं, जिसके अलग–अलग भूमिस्वामी है, परन्तु नक्शा में बटे नंबर तरमीम नही हैं इसी आधार पर राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमाकंन त्रुटिपूर्ण हैं एवं इसी बिनाय पर निरस्तगी योग्य हैं।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–2477–दो/2016 जिला–सतना

मैसर्स बिरला कार्पोरेशन लिमिटेड विरूद्ध श्री हीरामन द्विवेदी व म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
28–02–2019	आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल सतना, जिला–सतना के प्रकरण क्रमांक 66/अ–12/2015–16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 30–05–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, जिला–सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 25–4–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर.के. जैन) 28/2/2019 सदस्य	